न्यायमूर्ति वी.एस. अग्रवाल के समक्ष

लखविन्द्र सिंह और अन्य —*याचिकाकर्ता*

बनाम

सी.बी.आई. & एक और,-*उत्तरदाता*

*सी.आर.एल. आर।*97 में से 287

19 मई 1997

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 397—पुनरीक्षण की शक्ति—अंतर्वर्ती आदेश—का अर्थ—ऐसे आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण सक्षम नहीं है।

आयोजित, कि एक अंतर्वर्ती आदेश अंतिम आदेश का विपरीत होता है। किसी कार्रवाई की प्रगति के दौरान एक अंतरिम आदेश दिया जाता है। यह अंततः पार्टियों के अधिकारों का निपटान नहीं करता है।ऐसे में स्ट्रेट जैकेट फ़ॉर्मूला प्रदान करना कठिन होगा और वास्तविक परीक्षा यह होगी कि यदि निर्णय या आदेश पक्षों के अधिकारों का निपटान करता है, तो यह अंतिम आदेश होगा। यदि यह पार्टियों के अधिकारों का निपटान नहीं करता है, तो यह एक अंतरिम आदेश होगा। यदि आदेश केवल अधिकारों पर निर्णय लेने में सहायता के लिए एक कदम है, तो उस स्थिति में, इसे अंतिम आदेश नहीं कहा जा सकता है।

(7 के लिए)

आगे कहा गया कि अंतरिम आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

(11 के लिए)

पी.एस. हुंदल, वकील,*याचिकाकर्ताओं के लिए.*

एस.के. सक्सैना, अधिवक्ता के साथ श्री आर.के. हांडा, *उत्तरदाताओं के लिए वकील*

निर्णय

न्यायमूर्ति वी.एस. अग्रवाल

(1) याचिकाकर्ताओं पर अन्य लोगों के साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के साथ पढ़ी जाने वाली आईपीसी की धारा 120-बी/302/307 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है। 27 फरवरी, 1997 को अभियोजन पक्ष द्वारा एक गवाह के रूप में सुरिंदर शर्मा से पूछताछ की जा रही थी, ऐसा आरोप है कि गवाह की मुख्य जांच के दौरान, केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष लोक अभियोजक ने पेश किया गवाह के साक्ष्य कि याचिकाकर्ताओं की पहचान केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों आईपी सी.बी.आई. द्वारा की गई थी। सेक्टर 30 के कार्यालय में । उन्हें लखविंदर सिंह और गुरमीत सिंह दिखाए गए। याचिकाकर्ताओं (बचाव पक्ष) द्वारा एक आपत्ति उठाई गई थी कि पुलिस की उपस्थिति में एक गवाह द्वारा आरोपी की पहचान आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के तहत आती है और अस्वीकार्य है। मुख्य परीक्षण के दौरान यह सबूत पेश करने की मांग की गई कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने गवाह को सेक्टर 30 स्थित अपने कार्यालय में बुलाया था। उन्होंने उसे कुछ तस्वीरें दिखाईं, जिनमें से याचिकाकर्ताओं की चार तस्वीरें गवाह द्वारा पहचानी गईं। बचाव पक्ष ने फिर से आपत्ति उठाई कि पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में तस्वीरों के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों की पहचान स्वीकार्य नहीं है और इस सबूत को पेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(2) विद्वान सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ आक्षेपित आदेश उक्त आपत्ति से निपटा गया। ट्रायल कोर्ट ने माना कि संभावित मूल्य जो इस तरह के बयान से जुड़ा होना चाहिए वह एक अलग मामला है और इसे अन्य कारकों के प्रकाश में निर्धारित किया जाना चाहिए, लेकिन इस तर्क को खारिज कर दिया कि इस तरह से कहा गया तथ्य धारा 162 के अंतर्गत आता है।

(3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष को उसकी तस्वीरों के माध्यम से पुलिस के समक्ष आरोपी व्यक्तियों की पहचान के संबंध में साक्ष्य पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विद्वान वकील की राय में यह दंड प्रक्रिया संहित□ की धारा 162 के अंतर्गत आता है और विद्वान निचली अदालत को साक्ष्य दर्ज नहीं करना चाहिए था। केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि आक्षेपित आदेश को न तो पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी जा सकती है और न ही न्यायालय की अंतर्निहित शक्तिय□□ के तहत, यह आग्रह किया गया था कि यह एक अंतरिम आदेश और एक पुनरीक्षण याचिका थी। वर्जित है. कहने की जरूरत नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने इसके विपरीत महसूस किया और आग्रह किया

कि यह एक अंतरिम आदेश नहीं था। धारा 397 सीआरपीसी की उपधारा (2) पी.सी. उत्तरदाताओं के वकील द्वारा संदर्भित किया जा रहा है: -

> "397(2). उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी अपील, जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी भी अंतरिम आदेश के संबंध में नहीं किया जाएगा।

उक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि धारा 397 सीआर की उपधारा (1) के तहत किसी आदेश को संशोधित करने की शक्ति। पी.सी. किसी अपील, पूछताछ या मुकदमे में पारित अंतरिम आदेश के संबंध में इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। विद्वान निचली अदालत ने कुछ दस्तावेजों की स्वीकार्यता से संबंधित याचिकाकर्ताओं की आपत्ति को खारिज कर दिया था। विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न सामने आता है वह यह है कि क्या यह एक अंतर्वर्ती आदेश है या नहीं।

(4) अभिव्यक्ति "इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर" को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन धारा 397 सीआरपीसी की उप-धारा (2) को अधिनियमित करने का उद्देश्य स्पष्ट है। यह बिना किसी विवाद के है कि इसे सुचारू सुनवाई को विफल करने के लिए अधिनियमित किया गया है। ट्रायल कोर्ट की दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही को अंतरिम आदेशों के खिलाफ बार-बार संशोधन से निराश नहीं किया जाना चाहिए। इसे ट्रायल कोर्ट को यथासंभव शीघ्र सुनवाई में मदद करने के लिए अधिनियमित किया गया है। के मामले में सुप्रीम कोर्ट वी सी शुक्ला बनाम *राज्य द्वारा सी.बी.आई.* में सीआरपीसी की धारा 397 की उप-धारा (2) को अधिनियमित करने के उद्देश्य को नोट किया और यह माना कि अभिव्यक्ति "इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर" को इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए कि परीक्षणों में कोई देरी न हो। अनुच्छेद 5 में यह कहा गया था:-

> "लगता है कि इसका उद्देश्य उन चरणों में होने वाली देरी को कम करना है, जिनसे होकर एक आपराधिक मामला बरी होने, आरोपमुक्त होने या दोषसिद्धि तक पहुंचने से पहले गुजरता है। जहां तक आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 का सवाल है, इसे क्षेत्राधिकार का एक विस्तृत और विविध क्षेत्र मिला है क्योंकि यह न केवल भारतीय दंड संहिता में बल्कि बड़ी संख्या में निहित अपराधों के मुकदमे की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है। अन्य अधिनियम और क़ानून जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता को लागू करते हैं या जो संहिता के समरूप क़ानून हैं। इसलिए, संहिता के बहुत बड़े दायरे और दायरे को ध्यान में रखते हुए, अभिव्यक्ति 'इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर' को एक व्यापक अर्थ देना होगा ताकि मुकदमे की निष्पक्षता में गड़बड़ी या हस्तक्षेप किए बिना अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। "

(5) इस पृष्ठभूमि में कि अंतर्वर्ती आदेश का क्या अर्थ है, कोई इससे जुड़े कुछ भेदों और अर्थों का उल्लेख कर सकता है। कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, खंड 47 में पृष्ठ 85 पर अंतर्वर्ती आदेश और कानून का अर्थ दिया गया था

> "मुकदमे की शुरुआत और अंत के बीच कुछ हस्तक्षेप जो कुछ बिंदु या मामले का फैसला करता है लेकिन जो पूरे विवाद का अंतिम निर्णय नहीं है।"

इसी प्रकार वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में पेज 1179 पर कानून में इंटरलोक्यूटरी का अर्थ था

> "अंतिम या निश्चित नहीं: किसी कार्रवाई की प्रगति के दौरान किया या किया गया: मध्यवर्ती, अनंतिम"।

दूसरे शब्दों में यह महसूस किया गया कि अंतरिम आदेश अंतिम आदेश के विपरीत होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर एक से अधिक बार विचार किया गया है।मोहन लाई मगन लाई थैकर बनाम गुजरात राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के शुरुआती फैसलों में सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट 685 में एक अंतर निकाला गया कि अंतिम और अंतरिम आदेश क्या है। इंग्लैंड के कुछ निर्णयों का उल्लेख करते हुए यह भी कहा गया:-

इसलिए, दो शब्दों "अंतिम" और "इंटरलोक्यूटरी" के अर्थ पर उस विशेष उद्देश्य के संबंध में अलग से विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए यह आवश्यक है। हालाँकि, आम तौर पर बोलते हुए, एक निर्णय या आदेश जो प्रश्न में मुख्य मामले को निर्धारित करता है उसे अंतिम कहा जाता है। यह अंतिम हो सकता है, हालांकि यह पूछताछ को निर्देशित करता है या एक अंतर्वर्ती आवेदन पर किया जाता है या आवेदन करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखता है। कुछ अंग्रेजी निर्णयों में जहां यह प्रश्न उठा, निम्नलिखित चार परीक्षणों में से एक या दूसरे को लागू किया गया: -

1. क्या आवेदन पर आदेश इस प्रकार दिया गया था कि किसी भी पक्ष के पक्ष में निर्णय मुख्य विवाद का निर्धारण करेगा?
2. क्या यह उस आवेदन पर बनाया गया था जिस पर मुख्य विवाद का फैसला किया जा सकता था?
3. क्या दिया गया आदेश विवाद का निर्धारण करता है?
4. यदि विचाराधीन आदेश उलट दिया जाता है, तो क्या कार्रवाई जारी रखनी होगी?"

इसके बाद इसी सवाल पर चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिए गए फैसले का जिक्र *उत्तर प्रदेश राज्य* बनाम सूजन सिंह *में किया* जहां पार्टियों के अधिकारों का निर्णय नहीं किया गया था और कुछ दस्तावेजों के उत्पादन की अनुमति दी गई थी, यह नोट किया गया था कि यह एक अंतरिम आदेश था। सर्वोच्च न्यायालय प्रमुख:-

"उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुजान सिंह मामले में निर्णय से कोई मदद नहीं मिलती क्योंकि जिस कार्यवाही में विवादित आदेश पारित किया गया था, उसे अंतर्वर्ती माना गया था।

2. (1968) 2 एस.सी. रिपोर्ट 685
3. (1964) 7 एस.सी. रिपोर्ट 734

एक परीक्षण के दौरान और उसके दौरान ही उत्पन्न होता है। प्रश्न यह था कि क्या किसी निश्चित दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने से राज्य के विशेषाधिकार के दावे को खारिज करने वाला आदेश अनुच्छेद 134 (1) (सी) के अर्थ में अंतिम आदेश था। अदालत ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 6 (1) के तहत अपराध के लिए उत्तरदाताओं के खिलाफ कार्यवाही थी। वे अभी भी विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित थीं। उन कार्यवाहियों के दौरान उत्तरदाताओं ने केंद्र सरकार द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आवेदन किया और न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी। इसलिए, यह आदेश उक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान एक अंतरिम आदेश था, इसका उद्देश्य पार्टियों यानी उत्तर प्रदेश राज्य और प्रतिवादियों, अभियुक्तों के अधिकारों का निर्णय करना नहीं था। इसने अभियुक्त को उक्त दस्तावेज़ को साबित करने और मामले में प्रदर्शित करने में सक्षम बनाया और इसलिए यह साक्ष्य जोड़ने के लिए एक प्रक्रियात्मक कदम था। अदालत ने यह भी कहा कि यह मानते हुए कि आदेश ने केंद्र सरकार के कुछ अधिकारों का फैसला किया है, वह सरकार न तो आपराधिक कार्यवाही में एक पक्ष थी और न ही उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष एक पक्ष थी। यह निर्णय स्पष्ट रूप से इस आधार पर था कि दस्तावेज़ के उत्पादन के लिए उत्तरदाताओं का आवेदन जिसमें केंद्र सरकार, मुकदमे में एक पक्ष नहीं, ने विशेषाधिकार का दावा किया था, एक अंतर्वर्ती कार्रवाई थी न कि एक स्वतंत्र कार्यवाही। सवाल यह है कि स्थिति क्या होगी यदि (ए) आवेदन एक स्वतंत्र कार्यवाही थी, और (बी) यदि यह केंद्र सरकार के अधिकार को प्रभावित करता है।परमेश्वरी देवी बनाम राज्य

के मामले में इस प्रश्न पर फिर से विचार किया गया *और* एक बार फिर धारा 397 की उपधारा (2) का दायरा विचाराधीन विषय था। यह माना गया कि यदि यह एक मध्यवर्ती आदेश है, तो स्पष्ट रूप से पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना, यह एक मध्यवर्ती आदेश होगा। पैराग्राफ 7 में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला

> "संहिता एक अंतर्वर्ती आदेश को परिभाषित नहीं करती है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक मध्यवर्ती आदेश है, जो किसी जांच या परीक्षण के प्रारंभिक चरणों के दौरान बनाया जाता है। धारा 397 की उपधारा (2) का उद्देश्य ऐसे आदेश को पुनरीक्षण की शक्ति के दायरे से बाहर रखना है ताकि
>
> पूछताछ य मुकदमा बिना देरी के आगे बढ़ सकता है। इससे पीड़ित पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि अगर अंतिम आदेश उसके खिलाफ जाता है तो वह हमेशा इसे उचित समय पर चुनौती दे सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यदि आदेश किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ निर्देशित किया गया है जो जांच या मुकदमे में पक्षकार नहीं है, और संबंधित पक्षों को प्रभावित करने वाले अंतिम आदेश के बाद उसके पास इसे चुनौती देने का कोई अवसर नहीं होगा, तो वह इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। पुनरीक्षण, भले ही यह उसके विरुद्ध निर्देशित हो और उसक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।"

दूसरे शब्दों में, यह माना गया कि अंतर्वर्ती आदेश के अर्थ पर उस विशेष उद्देश्य के संबंध में अलग से विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए इस पर विचार किया गया है।

(6) कोर्ट का ध्यान इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले *अमर नाथ और अन्य* बनाम *हरियाणा राज्य और अन्य,* (5) में आकर्षित किया गया जिस्म सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पार्टियों के अधिकारों पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है और यह महज एक मामला है अंतरिम *में* आदेश, इसे एक अंतर्वर्ती आदेश माना जाना चाहिए। न्यायालय के निष्कर्ष थे:-

> "निर्णयित मामलों में यह निर्धारित किया गया है कि अपील योग्य होने वाले अंतर्वर्ती आदेश वे होने चाहिए जो किसी विशेष पहलू से संबंधित पार्टियों के अधिकारों और देनदारियों का फैसला करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि 1973 संहिता की धारा 397 (2) में "इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर" शब्द का इस्तेमाल किसी व्यापक या कलात्मक अर्थ में नहीं, बल्कि एक प्रतिबंधित अर्थ में किया गया है। यह केवल विशुद्ध रूप से अंतरिम या अस्थायी प्रकृति के आदेशों को दर्शाता है जो पार्टियों के महत्वपूर्ण अधिकारों या देनदारियों पर निर्णय या स्पर्श नहीं करते हैं। कोई भी आदेश जो अभियुक्तों के अधिकारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, या पार्टियों के कुछ अधिकारों का निर्णय करता है, उसे एक अंतरिम आदेश नहीं कहा जा सकता है ताकि उस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण पर रोक लगाई जा सके क्योंकि यह उसी उद्देश्य के खिलाफ होगा जिसने इसे बनाया था। 1973 संहिता की धारा 397 में इस विशेष प्रावधान को शामिल करने का आधार, उदाहरण के लिए, गवाहों को बुलाने, मामलों को स्थगित करने, जमानत के लिए आदेश पारित करने, रिपोर्ट मांगने और लंबित कार्यवाही की सहायता के लिए ऐसे अन्य कदम उठाने के आदेश, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है अंतर्वर्ती आदेशों के विरुद्ध, जिनके विरुद्ध 1973 संहिता की धारा 397 (2) के तहत कोई संशोधन नहीं होगा। लेकिन ऐसे आदेश जो क्षणिक मामले हैं और जो अधिकारों को प्रभावित या न्यायनिर्णित करते है

अभियुक्त या मुकदमे के किसी विशेष पहलू को अंतरिम आदेश नहीं कहा जा सकता है ताकि यह उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर हो। मधु लिमय बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में इस संबंध में पर्याप्त प्रकाश और दिशानिर्देश भी देता है। यह ध्यान दिया गया क□ अभिव्यक्ति "इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर" को समझा गया है और इसका अर्थ अंतिम आदेश का व्युत्क्रम है। अनुच्छेद 12 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:-

"आमतौर पर और आम तौर पर अभिव्यक्ति 'इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर' को 'अंतिम आदेश' शब्द के विपरीत समझा और लिया जाता है। हालाँकि, हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानूनों के तीसरे संस्करण के खंड 22 में पृष्ठ 742 पर, यह पैरा 1606 में कहा गया है: -

" कोई निर्णय या आदेश हो सकता हैएक उद्देश्य के लिए अंतिम हो और दूसरे के लिए अंतर्वर्ती, या भाग के रूप में अंतिम और भाग के रूप में अंतर्वर्ती। इसलिए दोनों शब्दों के अर्थ पर उस विशेष उद्देश्य के संबंध में अलग से विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए यह आवश्यक है। पैरा 1607 में कहा गया है:-

"सामान्य तौर पर एक निर्णय या आदेश जो प्रश्न में मुख्य मामले को निर्धारित करता है उसे "अंतिम" कहा जाता है। पैरा 1608 में पृष्ठ 744 और 745 पर हमें ये शब्द मिलते हैं:—

"एक आदेश जो पार्टियों के अंतिम अधिकारों से संबंधित नहीं है, लेकिन या तो (1) निर्णय से पहले दिया जाता है, और विवाद के मामलों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं देता है, बल्कि केवल प्रक्रिया के मामले पर होता है, या (2) है निर्णय के बाद किया गया, और केवल यह निर्देश देता है कि अंतिम निर्णय में पहले से ही दिए गए अधिकार की घोषणाओं पर कैसे काम किया जाना है, इसे "इंटरलोक्यूटरी" कहा जाता है। एक अंतर्वर्ती आदेश, हालांकि मुख्य विवाद के लिए निर्णायक नहीं है, वह जिस अधीनस्थ मामले से निपटता है, उसके लिए निर्णायक हो सकता है।" इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले का जिक्र किया

6. एआईआर 1978 एससी 47

संघीय न्यायालय और उसी को मंजूरी देते हुए, यह आयोजित किया गया: -

"एस. कुप्पुस्वामी राव बनाम द किंग, 1947 एफसीआर 180: (एआईआर 1949 एफसी 1) में कनिया सी.जे. ने न्यायालय का फैसला सुनाते हुए (एफसीआर के) पृष्ठ 185 और 186 पर कुछ अंग्रेजी फैसलों का उल्लेख किया है: (पी पर)।

आकाशवाणी के 3). लॉर्ड ईशर एम.आर. ने सलामन बनाम वार्नर, (1891) 1 क्यूबी 734 में कहा, "यदि उनका निर्णय, चाहे जिस भी तरीके से दिया गया हो, यदि वह कायम रहता है, तो अंततः विवाद में मामले का निपटारा हो जाएगा, मुझे लगता है कि इन नियमों के प्रयोजनों के लिए यह अंतिम है. दूसरी ओर, यदि उनका निर्णय, यदि एक प्रकार से दिया जाए, तो अंततः विवादग्रस्त मामले का निपटारा कर देगा, परंतु, यदि दूसरे तरीके से दिया जाए, तो कार्रवाई चलती रहेगी, तो मुझे लगता है कि यह अंतिम नहीं, बल्कि अंतर्वर्ती है ।" उसी प्रभाव के लिए फ्राई एल.जे. और लोप्स एल.जे. के निर्णयों से उद्धृत टिप्पणियाँ हैं। उक्त परीक्षण को लागू करते हुए, लगभग वर्तमान मामले के समान तथ्य□□ पर, यह माना गया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित संशोधन आदेश (उस समय) उस समय धारा 397 (2) जैसी कोई रोक नहीं थी, यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 205 (1) के अर्थ में "अंतिम आदेश" नहीं था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसमें निर्धारित परीक्षण था यदि अभियुक्त की आपत्ति सफल हो जाती तो कार्यवाही समाप्त हो सकती थी परन्तु नहीं*विपरीतता से।* आदेश को अंतिम आदेश तभी कहा जा सकता है, जब किसी भी स्थिति में कार्रवाई निर्धारित की जाएगी। हमारी राय में यदि इस सख्त परीक्षण को धारा 397(2) में आने वाले "इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर" शब्दों की व्याख्या में लागू किया जाना था, तो अदालत द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लेने का आदेश, चाहे वह अवैध रूप से किया गया हो या बिना

क्षेत्राधिकार, अंतिम आदेश नहीं होगा और इसलिए यह एक अंतरिम आदेश होगा।"

के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना भी उचित होगा वी सी शुक्ला *बनाम राज्य द्वारा* सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपराधिक दंड संहिता की धारा 397 की उप-धारा (2) के तहत होने वाली अभिव्यक्ति "इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर" को उदार अर्थ दिया गया है और पैराग्राफ 21 में यह निष्कर्ष निकाला गया है: -

> "शुरू करने के लिए, 'इंटरलोक्युटरी' शब्द का अर्थ लगाने के लिए, इसे अंतिम आदेश के विपरीत या इसके विपरीत समझा जाना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस, 1976 (खंड 1 पृष्ठ 853) में छपे एक अंश से मजबूत हुए हैं जहां यह कहा गया है कि सलामन बनाम वार्नर के फैसले का जिक्र करते हुए एक अंतरिम आदेश की तुलना अंतिम आदेश से की जानी चाहिए। 1891) 1 क्यूबी 734। दूसरे शब्दों में, 'अंतिम आदेश नहीं' शब्द का अर्थ आवश्यक रूप से एक अंतर्वर्ती आदेश या एक मध्यवर्ती आदेश होना चाहिए।

(7) इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के कुछ प्रमुख मामलों का उल्लेख करने के बाद, कोई भी आसानी से निष्कर्ष निकाल सकता है और अंतरिम आदेश अंतिम आदेश के विपरीत है। किसी कार्रवाई की प्रगति के दौरान एक अंतरिम आदेश दिया या दिया जाता है। यह अंततः पार्टियों के अधिकारों का निपटान नहीं करता है। स्ट्रेट जैकेट फ़ॉर्मूला प्रदान करना कठिन होगा।वास्तविक परीक्षा यह होगी कि यदि निर्णय या आदेश पक्षों के अधिकारों का निपटान करता है, तो यह अंतिम आदेश होगा। यदि यह पार्टियों के अधिकारों का निपटान नहीं करता है, तो यह एक अंतरिम आदेश होगा। यदि आदेश केवल अधिकारों पर निर्णय लेने में सहायता के लिए एक कदम है, तो उस स्थिति में, इसे अंतिम आदेश नहीं कहा जा सकता है।

(8) इस पृष्ठभूमि में हम पीछे जाकर मामले के तथ्यों को देख सकते हैं।

(9) विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पहचान से संबंधित सबूत पेश करने और ले जाने की अनुमति दी। यह आपत्ति कि साक्ष्य अप्रासंगिक था और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 से प्रभावित था, अस्वीकार कर दिया गया। विद्वान निचली अदालत को अभी भी लगा कि सबूतों के संभावित मूल्य पर बाद में विचार किया जाना चाहिए। वास्तव में पार्टियों का कोई अधिकार प्रभावित नहीं हुआ। यह परीक्षण के दौरान आगे बढ़ने और परीक्षण के दौरान दिन-प्रतिदिन की नकारात्मक आपत्तियों के लिए उठाया गया कदम मात्र है। साक्ष्य साक्ष्य का मूल्यांकन अभी किया जाना बाकी है। इसलिए, इसे एक वार्ताकार के रूप में लिया जाना चाहि।

याचिकाकर्ताओं के लिए आदेश और अंतिम आदेश नहीं। इसलिए यह कहा जाना चाहिए कि पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

(10) उस साक्ष्य में एक तर्क दिया गया था कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग ऐसे आदेश को रद्द करने के लिए किया जा सकता है जो कानून के खिलाफ था। शुरुआत में, यह कहा जा सकता ह□ कि यह न्यायालय फिलहाल ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश की वैधता के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा है, लेकिन जहां आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा एक विशिष्ट रोक है, वहां आमतौर पर अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। जब तक कि अदालत की प्रक्रिया या न्याय के हित में ऐसा न हो, इसका पूरी तरह से दुरुपयोग न हो। दोनों प्रावधान अर्थात् धारा 397(2) और 482. Cr. पी.सी. सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। आमतौर पर यह न्यायालय विधायिका द्वारा लगाए गए विशिष्ट प्रतिबंध के सामने अंतर्निहित शक्तियों पर दबाव नह□□ डालेगा। केवल इसलिए कि कुछ साक्ष्यों को स्वीकार्य मान लिया गया है, इस न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके किसी अन्य रूप में इसकी जांच करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, उक्त विवाद भी विफल होना चाहिए।

(11) इन कारणों से, प्रारंभिक आपत्ति प्रबल होनी चाहिए और यह माना जाता है कि याचिका अंतरिम आदेश के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं है। यहां कही गई किसी भी बात को मुख्य मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रह
जैस्मीन प्रीत कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)
सोनीपत, हरियाणा